भीम

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक :–एफ.28(25)पंराचि/प्रशा–2/ग्राविअ संघ/मार्ग(अजमेर)/2021/2396 जयपुर,दिनांकः– 18/10/2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद– अजमेर।

विषय :– ग्राम विकास अधिकारियों को अतिरिक्त ग्राम पंचायत पर देय बहुआयामी भत्ता(विशेष भत्ता) स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 14.06.2021 द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के क्रम में लेख है कि ग्राम विकास अधिकारी को अन्य ग्राम पंचायत का अतिरिक्त कार्यप्रभार दिये जाने पर उस ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्य के लिये अतिरिक्त प्रभार भत्ता एवं विशेष भत्ता देय होगा। उक्त भत्ते बिना अधिकतम समयावधि के लिये देय होगा ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(विजय पाल सिंह–II)
अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

कार्यालय जिला परिषद,अजमेर

कंमाक जिपअ/संस्थापन/2021/

दिनांकः

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज विभाग) राज0जयपुर

विषयः—ग्राम विकास अधिकारियों को अतिरिक्त ग्राम पंचायत पर देय बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) स्वीकृति के संबंध में मागदर्शन प्रदान करने के कम में।
प्रसंगः—विकास अधिकारी,पंचायत समिति जवाजा का पत्रांक पसज/संस्थापन/2021/390 दिनांक 27.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक के कम में निवेदन है कि विभाग के आदेश कंमाक एफ 28 ( ) पराविं/प्रशा02/ग्रा0से0संघ/ज्ञापन/ 2882 दिनांक 19.07.2017 से ग्राम विकास अधिकारी को बहुआयामी भत्ता (विशेष भत्ता) की राशि रूपये 1500/— प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता राशि रूपये 2500/—प्रतिमाह भुगतान किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है।

वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों को एक से अधिक ग्राम पंचायतें कार्य हेतु आवंटित की जा रही है। ऐसी स्थिति में एक से अधिक ग्राम पंचायत आवंटित किये जाने पर ग्राम विकास अधिकारी संघ पंचायत समिति जवाजा के द्वारा अतिरिक्त आवंटित ग्राम पंचायत पर प्रति ग्राम पंचायत राशि रूपये 4000/— की मांग की जा रही है।

अतः ग्राम विकास अधिकारी को एक से अधिक ग्राम पंचायत आवंटन करने पर क्या विशेष भत्ता राशि रूपये 2500/— से अधिक स्वीकृत किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करावे।

सादर।

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,अजमेर

कंमाक जिपअ/सम/2021/ 1621

दिनांकः 15.06.21

प्रतिलिपिः— विकास अधिकारी,पंचायत समिति जवाजा को उनके पत्रांक पसज/संस्थापन/2021/390 दिनांक 27.04.2021 के कम में सूचनार्थ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,अजमेर

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकः–एफ.28(13)पंरावि/प्रशा–2/ग्राविअ(ग्रासे)/अति.भत्ते/2021/2181 जयपुर,दिनांकः– 22/09/2021

:: आदेश ::

राज्य की ग्राम पंचायतों में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवक) को उनके बहुआयामी कार्य की प्रकृति को देखते हुए बहुआयामी भत्ता(विशेष भत्ता) की राशि 1500/–रू0 प्रतिमाह से बढाकर 2250/–रू0 प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्यभत्ता 2500/–रू0 से बढाकर 3750/–रू0 प्रतिमाह दिनांक 01.10.2021 से किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी संख्या 102104263 दिनांक 20.09.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तत्काल पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1–निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
2–निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
3–निजी सचिव, निदेशक,पंचायती राज विभाग,जयपुर ।
4–जिला कलक्टर, समस्त ।
5–निजी सचिव, संयुक्त सचिव(एलटी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान, जयपुर ।
6–वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज विभाग।
7–मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
8–विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
9–प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, पंचायती राज विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
10–प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, संघ(पंजी) जयपुर।
11–आदेश पत्रावली ।

अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम)

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner